आरक्षित वन में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी नियम

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26-क तथा 76 (घ) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की अधिसूचना क्र. 3554 दि. 12-7-1890, 2823 दि. 21-6-24-1117 दि. 22-11-1917, तथा 1123 दि. 28-11-1913 के द्वारा जारी नियम)

(मध्यप्रदेश के ए क्लास वनों के लिये)

(86) 1. ऐसा व्यक्ति जो आरक्षित वन के तीन मील के अन्दर किसी वन या घास जमीन को आग लगाकर साफ करना चाहता है, तो वह निम्न नियमों का पालन करेगा -

(1) वह इस प्रकार जलाने के लिये अपने इरादे की सूचना (वास्तविक जलाने की तिथि से) कम से कम एक सप्ताह पूर्व निकटतम बीटगार्ड, परिक्षेत्र सहायक या परिक्षेत्र अधिकारी को देगा।

(2) वह इस प्रकार जलाने के पूर्व, आरक्षित वन से लगे भाग की ओर कम से कम 30 फीट चौड़ी अग्नि पट्टी (Fire belt) इस प्रकार साफ करेगा की आग उसको पार न कर सके।

(3) वह ख्याल रखेगा कि जब तेज हवा चल रही हो तब वह आग नहीं जलावेगा।

2. कोई व्यक्ति, जो आरक्षित वन की सीमा के बाद एक मिल के क्षेत्र में आग जाने का इच्छुक हो वह लकड़ी, घास, पत्ते या अन्य ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा कर जगह-जगह ढेर लगावेगा तथा फिर धीरे-धीरे एक ढेर में आग लगावेगा ताकि आग, लगे क्षेत्र में न फैले, और आरक्षित वन को खतरा उत्पन्न न करे।

3. ऐसा व्यक्ति, जो आरक्षित वन से लगे क्षेत्र में ज्वलनशील वनोपज जैसे घास या बाँस का संग्रहण करता है, या ऐसा व्यक्ति जिसे आरक्षित वन के पास ऐसी वनोपज संग्रहण करने की अनुज्ञा मिली है, ऐसी वनोपज को आरक्षित वन से समुचित (Reasonable) दूरी पर, जैसी कि वन मण्डलाधिकारी किसी सामान्य या विशेष आदेशों से विनिर्दिष्ट करें, खुले स्थान पर थप्पियाँ (Stack) में रखेगा और थप्पियों के आसपास इस प्रकार अग्नि सुरक्षा के उद्देश्य से सफाई कर देगा कि यदि आग लगे, तो आग आस-पास के क्षेत्र में न फैले या आरक्षित वन को खतरा उत्पन्न न करे।

4. आरक्षित वन की सीमा से लगे या आरक्षित वन के भीतर स्थित शिविर स्थलों (Camping Ground) की सूची प्रतिवर्ष, वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इन शिविर स्थलों की सफाई और उन्हें अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वन मण्डलाधिकारी द्वारा अलग किया जावेगा। इन शिविरों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आरक्षित वन की सीमा पर या आरक्षित वन में आग नहीं जला सकता है इन शिविर स्थलों को उपयोग करने वाले सभी व्यक्ति खाना पकाने या अन्य प्रयोजनों के लिये इस प्रकार आग जलावेंगे कि उससे शिविर स्थलों पर बने किसी भवन, छपरी या अन्य सम्पत्ति को और लगे आरक्षित वन को खतरा उत्पन्न न हो और शिविर स्थल छोड़ने के पूर्व सभी जलती आग बुझा देना चाहिए और शेष बचे ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, घास आदि को शिविर के मध्य में जमा कर देना चाहिए।

5. आरक्षित वन की सीमा पर या आरक्षित वन में, 1 नवम्बर तथा 30 जून के मध्य, या ऐसी पूर्व तथा पश्चात् की तिथि को जो धारा 26 (ग) के अन्तर्गत, वन संरक्षक की पूर्वानुमति से, वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जावे, जलती लकड़ी लुगाढ़ी या जलती मशाल (Torch) ले जाना प्रतिषिद्ध है। 1 नवम्बर तथा तीस जून के मध्य आरक्षित वन में धुम्रपान भी वर्जित है। घोषित शिविर स्थलों (Camping ground) पर यह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

अग्नि सुरक्षा कार्यों के सम्बन्ध में नियम

(89) (1) वन मण्डलों का वन क्षेत्र, स्वीकृत कार्यकरण योजना (Working plan) के कार्यों के प्रस्तावों (Prescription) अथवा उसके अभाव में वन संरक्षक के आदेशों पर, अग्नि सुरक्षा के लिए तीन वर्गों में बाँटे जावेंगे।

(2) वर्ग निम्नानुसार है-

वर्ग I (Class-I) - पूर्णतः सुरक्षा वाले वन

इसमें निम्न सम्मिलित होंगे-

(i) यूनिफार्म सिस्टम (Uniform System) के पुनरोत्पादन वाले (Regeneration) कूप।

(ii) पुनरोत्पादित वन (Regenerated wood) आरक्ष सह सथूल रोह पातन श्रेणी (Coppice System) के चराई से बन्द कूप।

(iii) वृक्षारोपण क्षेत्र।

(iv) अन्य क्षेत्र जिन्हें वन संरक्षक विशेष आदेश से आरक्षित करें (जैस घास, बीड़, लाख उत्पादन क्षेत्र इत्यादि।)

(3) इस वर्ग के सब क्षेत्रों के अग्नि सुरक्षा लाईन (Fire Line) और सुरक्षा लाईन (Guide Line) के द्वारा अन्य क्षेत्रों से अलग किया जावेगा और अग्नि रक्षक (Fire watcher) द्वारा गश्त की जावेगी।

(4) इस क्षेत्र में अग्नि लगना "संकट" (Calamity) स्वरूप होगा तथा उसकी रिपोर्ट की जावेगी चाहे जितना क्षेत्र जला हो चाहे जो आग लगने की तिथि हो।

वर्ग II - सामान्य सुरक्षा वाले वन

(5) इस वर्ग में सम्मिलित होंगे-

(i) वे वन क्षेत्र जो सभी पातन श्रेणियों में सम्मिलित हैं तथा नियमित कार्य योजना में सम्मिलित हैं तथा प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) अन्य क्षेत्र, जो वन संरक्षक, विशेष आदेश से निर्देशित करें।

(6) इन क्षेत्रों को बाहरी क्षेत्र से, भीतरी फायर लाइनों के द्वारा अलग किया जावेगा और समुचित खंडों में भीतरी फायर लाइन के द्वारा विभाजित किया जाएगा। इस क्षेत्र में गाइड लाइन नहीं काटी जावेंगी लेकिन सभी फायर लाइन, सड़क, रास्ते, घास के मैदानों को धीरे-धीरे, जब घास सूखना प्रारम्भ हो, जलाया जावेगा, और आग अपने आप बुझ जायेगी।

(7) इस क्षेत्र के लिए वन संरक्षक की स्वीकृति के पश्चात् ही अग्नि रक्षक (Fire watcher) लगाये जावेंगे।

(8) इस क्षेत्र में, वन संरक्षक की स्वीकृति से, कुछ क्षेत्र में (Early Burning) अर्लीबर्निंग का कार्य कराया जा सकता है। (Early Burning) का अर्थ है, वर्षा की समाप्ति के बाद जब घास हल्की-हल्की सूखने लगे तब पूरे क्षेत्र में आग लगाना।

वर्ग III - केवल विधि द्वारा सुरक्षा वाले वन

(9) इस वर्ग में से सब वन, जो उपरोक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित नहीं है, शामिल हैं।

(10) इस क्षेत्र के वनों में जान-बूझकर आग लगाना प्रतिबन्धित है लेकिन सुरक्षा के कोई विशेष उपाय नहीं किये जावेंगे।

(11) फायर लाइन दो प्रकार की होती है-

(1) बाहरी, (2) अन्दरूनी

वन मण्डलाधिकारी का कर्त्तव्य है, कि वे इन लाइनों की सही प्रकार रख-रखाव करें।

इस हेतु निम्न हिदायतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान रखें।

(अ) बाहरी फायर लाइन के सम्बन्ध में यह स्थापित सिद्धान्त है कि वे वनों को सीमाओं के अन्दर साथ-साथ रहे, लेकिन आड़ी, टेढ़ी, रेखाओं के बजाय शासकीय वन से सीधी फायर लाइन ले जाना उनकी उपयोगिता बढ़ाता है। अन्दरूनी फायर लाइन वनों के भीतर होती हैं और उनका उद्देश्य, आग से सुरक्षित वन में आग लगने पर, उसको वह रोकना होता है, और यदि वह आग नियंत्रित न हो सके, तो अन्दरूनी फायर लाइन से आग आने वाली दिशा में आग लगाना (Counter firing) रहता है। ये लाइनें जनता के उपयोग में आने वाली सड़कें, नदीं, नाले के साथ साथ हो सकती है जिससे अन्य लाभ के साथ ही वे खुद प्राकृतिक उत्तम फायर लाइन बनावेंगी। अन्दरूनी फायर लाइन को कभी भी पर्वतमाला केक शिखरों (Ridge) के साथ नहीं बनाना चाहिये क्योंकि वहां हवा अधिक एंव पानी कम रहता है।

(12) जब फायर लाइन बनाना प्रस्तावित हो तो वह जमीन पर ऐसे स्थलों से ले जाई जावे कि वे पूरे क्षेत्र में सुविधाजनक हो और पूरी फायर लाइन को पार करना सहज हो यथा-सम्भव खड़ा चढ़ाव-उतार और ऊबड़-खाबड़ भूमि को टालना चाहिये। जहाँ तक सम्भव हो, फायर लाइन, प्राकृतिक रूप से साफ क्षेत्र, जैसे खुले मैदान, जुती जमीन का किनारा, चौड़ी घाटियों या चौड़े नदी-नालों के किनारों के साथ ले जाना चाहिये। जहाँ तक सम्भव हो, फायर लाइन पानी के स्थल, कुँए, आदि के पास से गुजरे तथा अग्नि सुरक्षा मानचित्र में (Fire maps) समस्त पानी के स्थल दर्शायें जावें।

(13) (i) पैरा 89 (2) के अनुसार वर्गीकृत वर्ग 1 (Class) के वनों की सुरक्षा हेतु किये जाने वाले कार्य : इस क्षेत्र में पहिला कार्य, क्षेत्र को अन्य वनों या उससे लगे गाँव के ज्वलनशील पदार्थों से अलग करना है। यह कार्य सामान्यतः बाहरी फायर लाइन से समस्त ज्वलनशील पदार्थ की सफाई है। बाहरी फायर लाइन, न्यूनतम 40 फीट से 100 फुट तक आवश्यकतानुसार, चौड़ी रखी जा सकती है। नवम्बर के मासान्त तक क्षेत्र के आड़े और खड़े दोनों और दो निर्देशक लाइनें (Guide Line) काटी जावेंगी। इन गाइड लाइनों की चौड़ाई क्षेत्र में उग रहे चारे की ऊँचाई पर आधारित होगी। इन गाइड लाइनों से पूरा चारा, झाडियाँ आदि माह दिसम्बर के अन्त तक, ऊपरी तरह से साफ कर देना चाहिए। बाहरी फायर लाइनों में उन कूपों की सीमाएँ भी सम्मिलित होगी जो वर्ग I एवं वर्ग II और III के वनों की सीमा बनाती है। वर्ग II एवं III के वनों के क्षेत्र में फायर लाइन साफ नहीं की जावेगी लेकिन गाइड लाइन काटी जावेगी और जलाई जावेगी।

(ii) अन्दरूनी फायर लाइनों में भी बाहर फायर लाइनों के अनुसार कार्य होगा। केवल उनकी चौड़ाई कम होगी।

(iii) जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, फायर लाइन के बीच की घास सूखेगी इनको या तो खड़ी ही जला दिया जायेगा या काटी जायेगी। यदि घास काटी है, तो वह जमीन से लगी काटी जायेगी तथा लाइन की पूरी चौड़ाई में काटा जायेगा। यदि घास काटा जाता है तो कटे घास को फायर लाइन के बीच गाइड लाइन पर डाल कर, जेसे ही सूखे, जला दिया जायेगा।

(iv) फायर लाइन पर सूखे पत्ते या अन्य सूखी वस्तुओं को इकट्ठे कर उनको फायर लाइन के किनारे जमा किया जायेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में उसका जलाना प्रतिबन्धित है।

(v) वन मण्डलाधिकारी के विशेष आदेश के अतिरिक्त, किसी भी फायर लाइन को 31 माच के पश्चात् जलाने हेतु वन मण्डलाधिकारी का आदेश आवश्यक है और ऐसी जलाई, वन परिक्षेत्र अधिकारी या वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य कर्मचारी की उपस्थिति में की जायेगी।

(14) वर्ग 2 प्रकार के वन क्षेत्र में कोई गाईड लाइन नहीं काटी जायेगी। आग को जंगल में फैलने दिया जायेगा ताकि पास लगे गाँव और वर्ग 2 के वन के बीच काफी चौड़ी जली पट्टी बन जाये। घास को उस समय जलाना चाहिये जब वह करीब-करीब सूख जाये और यह कार्य अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से किया जायेगा। इस कार्य पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से वन मण्डलाधिकारी, पहिली दिसम्बर से या इससे पहिले, जैसा वह उचित समझे, परिक्षेत्र अधिकारी से अगिन सुरक्षा कार्य का पाक्षिक प्रतिवेदन, बुलवायेगा। अग्नि सुरक्षा कार्य समाप्त होने की तिथि वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी, तथा इस निर्धारित तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व वन मण्डलाधिकारी, अग्नि सुरक्षा कार्य की प्रगति वन संरक्षक को प्रस्तुत करेगा, तथा यदि कार्य में विलम्ब हुआ हो तो इस विलम्ब का कारण दर्शायेगा। वन संरक्षक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् अग्नि सुरक्षा कार्य, वन संरक्षक की विशेष स्वीकृति के सिवाय, बन्द कर दिये जायेंगे।

(15) जहां तक सम्भव हो, विद्यमान फायर लाइनों का ही उपयोग किया जायेगा। नई फायर लाईन वन संरक्षक की स्वीकृति के बिना नहीं बनाई जायेगी।

(16) फायर वाचर (v) - फायर वाचर का कर्त्तव्य होगा कि वह उसके प्रभार क्षेत्र की फायर लाइनों पर लगातार गश्त करे और उन (फायर लाइनों) पर संग्रहीत ज्वलनशील पदार्थ को हटाये, ताकि सुरक्षित क्षेत्र में आस-पास की आग न पहुँच पाये। यदि कहीं आग, लगी देखे तो तत्काल बीट गार्ड को सूचना देगा और सहायता प्राप्त कर आग बुझायेगा और बुझाने में सहायता करेगा।

फायर वाचर को सदैव उसके क्षेत्र में रहना चाहिये। वन मण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फायर वाचर के लिए उचित स्थलों पर रात को सोने के लिये ऊँची मचान तथा उसके नीचे खाना बनाने की जगह हो। इस तरह के स्थल ऊँचे स्थल पर होना चाहिये ताकि फायर वाचर लम्बी दूरी तक उसके प्रभार के वनों के देख सकें।

आग लगना

(17) कोई भी वन क्षेत्रपाल, वनपाल या वन रक्षक जिसको भी वन में या वन के आसपास आग लगने का धुआँ दिखाई दे, वह तत्काल जो सहायता मिल सके, वह इकट्ठी कर स्थल पर पहुँचेगा। वह स्वयं चुप नहीं बैठेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को जाँच कर प्रतिवेदन नहीं भेजेगा। वह अधिकारी, जो मौके पर पहुंचता है जहाँ आग लगी है, वह तत्काल उसको बुझाने की कार्यवाही करेगा। यदि यह आग उसके प्रभाग क्षेत्र के बाहर हो, तो वह आग बुझाने का कार्य तब तक करता रहेगा जबतक वहाँ के स्थानीय लोग न आ जायें और उसको कार्य मुक्त करें। यदि आग बहुत तेज हो और स्थानीय स्टॉफ को मदद की आवश्यकता हो तो मदद देगा। यह नियम गर्व (वर्ग I, II, III) के वनों के लिये लागू होगा।

(18) आग बुझाने के कार्य में पूर्ण सावधानी रखना चाहिए। यह देखें कि आग पूरी तरह बुझ गई है और सभी सुलगने वाले पदार्थ बुझ गये हैं। इस प्रकार सुलगने वाले पदार्थ पर मिट्टी डालना बहुत प्रभावकारी होता है। आग लगने वाले स्थल से कोई भी व्यक्ति जब तक वापस नहीं जायेगा, जब तक कि वहाँ पर उपस्थित सबसे वरिष्ठ अधिकारी को संतोष न हो जाये कि कोई सुलगने वाला पदार्थ सुलगता हुआ शेष नहीं है।

(19) सभी व्यक्तियों को जो शासकीय वन (वन ग्राम सहित) में आग बुझाने में सहायता करेंगे, उनको, उन्होंने जितनी सहायता दी है, उसके अनुसार जिलाध्यक्ष की सलाह पर, वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से, भुगतान किया जायेगा।

वनों में आग लगाने पर दायित्व

(20) परिक्षेत्र में वनों की अग्नि से सुरक्षा की कार्य-कुशलता के लिये परिक्षेत्र अधिकारी उत्तरदायी है।

जहाँ दो परिक्षेत्रों के सुरक्षित वनों की सीमा एक ही हो, वहाँ उन दोनों परिक्षेत्रों के बीच की फायर लाइन की सफाई की जिम्मेदारी उस परिक्षेत्र अधिकारी की होगी जिसे वन मण्डलाधिकारी निर्देशित करे, तथा जब यह सीमा एक सर्किल में दो वन मंडलों के बीच हो, तब यह दोनों वृतों के वन संरक्षक की राय से, यह कार्य निर्धारित किया जावेगा। ये आदेश परिक्षेत्र की आदेश पुस्तिका में दर्ज रहेंगे।

(21) वन मण्डलाधिकारी, उनके वन मण्डल में अग्नि सुरक्षा के लिये आदेशित कार्यों को, अच्छी तरह पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि बाहरी आग से खतरे के पूर्व, बाहरी फायर लाइन, पूरी तरह साफ की गई और जलाई गई है तथा समस्त अंदरूनी फायर लाइनें भी सही प्रकार हैं। लगातार निरीक्षण द्वारा उन्हें यह कार्य लगातार उस समय तक करते रहना चाहिये, जब तक अग्नि सुरक्षा कार्य पूर्ण न हो जाये। अपने प्रयास के दौरान, यह जाँच करना चाहिए कि किसी आग लगने की घटना को छिपाया तो नहीं गया है, तथा जिस क्षेत्र में आग लगने की रिपोर्ट की है उसमें सही क्षेत्र दर्शाया है। इस कार्य हेतु उनकी स्वयं की जाँच एवं निरीक्षण आवश्यक है।

आग लगने का प्रतिवेदन (Fire Report)

(22) परिक्षेत्र अधिकारी को आग लगने के प्रतिवेदन तत्काल वन मण्डलाधिकारी को भेजना चाहिए। यदि आग बड़े क्षेत्र में लगे तो विशेष वाहक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। परिक्षेत्र अधिकारी को उसके कर्मचारियों तथा वन मण्डलाधिकारी से सम्पर्क बनाये रखने के लिए द्रतगामी सेवा की व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि उसे आग लगने की सूचना तत्काल मिल जाए तथा वह ऐसी सूचना वनमण्डलाधिकारी को प्रेषित कर सकें। आग लगने पर स्थल का निरीक्षण, तथा जले क्षेत्र का मानचित्र सहित, पूर्ण अन्तिम प्रतिवेदन, परिक्षेत्र अधिकारी, द्वारा, विशेष कारण न हो तो, आग लगने के पन्द्रह दिवस के अन्दर वन मण्डलाधिकारी को प्रेषित करना चाहिए।

(23) वन मण्डलाधिकारी, वन संरक्षक को, आग लगने की संक्षिप्त रिपोर्ट फार्म नं. IX-74 में प्रति माह भेजेगें। जिसमें निम्न बातें दर्शाई जायेंगी-

(1) आग लगने का सीरियल नम्बर,

(2) आग लगने का दिनांक,

(3) जले क्षेत्र का क्षेत्रफल,

(4) आग लगने का कारण,

(5) हानि की मात्रा,

(6) कार्यवाही जो की गई।

इस संक्षिप्त विवरण में -

(i) वर्ग I क्षेत्र में लगी आग,

(ii) फायर लाइन जलने हेतु निर्धारित तिथि (नियम 14 के अनुसार) के उपरान्त लगी सब आग का विवरण,

(iii) फायर लाइन जलाने की निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई भयंकर आग लगी हो, उसका विवरण।

(24) सभी वर्ग I वन क्षेत्र में लगी आग का विवरण नक्शे के रूप में रखा जायेगा और जहाँ कार्यकारिणी योजना (Working plan) के अनुसार कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री (Compartment History) रखना निर्धारित हो, वहाँ यह नक्शा कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री में लगाया जायेगा, अन्यथा वन संरक्षक द्वारा निर्धारित विधि से अभिलेख रखा जाएगा।

(25) जब आग वन वर्धन के कार्यों के उद्देश्य से विभाग द्वारा लगाई जाये, जैसे कटाई का कचरा जलाने हेतु या पुनरोत्पादन पाने हेतु, (या वृक्षारोपण कार्य हेतु) तो उसको अग्नि सुरक्षा योजना में अलग रखना चाहिए। ऐसी आग लगने की रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, जब तक ये फैलकर सुरक्षित वन में न फैल जाए। आग लगाने की अनुमति तब तक ही दी जायेगी जब वह वर्किंग प्लान के प्रावधान में सम्मिलित हो अथवा यहा कार्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत हो।